BSNLEU

B S N L Employees Union

M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)
(The Only Recognised union in BSNL)
OFFICE:1195,Lal Kothi,Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)
Phone:- 0761-2425789 Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499
Circle Secretary Email:srnayak68@yahoo.in Circle President
S.R.Nayak B.S.Raghuwanshi

क्रमांकः बीएसएनएलईयू एमपी/ दिनांक 11-10-2011

फ्लेश न्यूज

एन ई पी पी के स्पष्टीकरण का हिन्दी सारांश

कारपोरेट ऑफिस नई दिल्ली ने अपने पत्र एफ.नं.13-2/2010 टीई दिनांक 28-09-2011 तथा परिमंडल कार्यालय भोपाल के अनुमोदन पत्र क्रमांक ES-TF Ruling/2011/22 दिनांक 10-10-2011 के द्वारा एन ई पी पी के अंतर्गत 4 पदोन्नति के विषय में 23 बिन्दुओं का नया स्पष्टीकरण जारी किया है। कुछ अपरिहार्य कारण से सभी 23 बिन्दुओं का हिन्दी सारांश जारी करना अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसलिए तुरन्त कार्यवाही करने सम्बन्धी बिन्दुओं का हिन्दी सारांश निम्नानुसार है।

1. स्पष्टीकरण नं.5 (मोटर ड्राइवर केडर के विषय में)

चूंकि मोटर ड्राइवर का केडर सर्किल केडर है, इसलिए मोटर ड्राइवरों के एन ई पी पी के अंतर्गत पदोन्नति के आदेश परिमंडल कार्यालय के द्वारा जारी किए जावेंगे।

2. स्पष्टीकरण नं.6 (औसत प्रविष्टि के कारण पदोन्नति न मिलने सम्बन्धी)

ऐसे कर्मचारी जो औसत प्रविष्टि के कारण एन ई पी पी के अंतर्गत पदोन्नति से वंचित रह गए हैं वे रिप्रेजेन्टेशन देंगे जिस पर विचार कर उन्हें ग्रेसिंग करके पदोन्नति दी जा सकेगी।

नोट:- परिमंडल यूनियन ने विषयांतर्गत विस्तृत जानकारी पहिले से ही परिमंडल की साइट पर अपलोड कर रखी है।

This document was created using SmartPDFCreator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

3. स्पष्टीकरण नं.7 (पांच वर्षों का रिकार्ड देखने के विषय में)

एन ई पी पी के मूल आदेश दिनांक 23-03-2010 के पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति प्राप्त होने की तारीख से पिछले 5 वर्षों की सी.आर. देखना है।

(नोट हमारा)- यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति 01-10-2004 से होना है तथा स्क्रीनिंग कमेटी (डी.पी.सी.) सन् 2011 में विचार कर रही है तो सन् 1999-2000 से लेकर 2003-2004 तक की सी.आर. देखी जावेगी। इस प्रकार यदि बाद की सी.आर. खराब है या कोई अन्य बात है तो भी उस कारण से पदोन्नति नहीं रोकी जावेगी एवम् 01-10-2004 से ही पदोन्नति दी जावेगी।

4. स्पष्टीकरण नं.8 (आप्शन देने के सम्बन्ध में)

जिन कर्मचारियों ने पहिले आप्शन फार्म I सा II भरकर दिया था किन्तु बाद में केलकुलेशन करने पर यह पाया गया कि वह उनके लिए हानिकारक है, ऐसे कर्मचारी दिनांक 27-10-2011 तक दुबारा आप्शन दे सकते हैं। दिनांक 27-10-2011 के बाद दिया गया आप्शन मान्य नहीं होगा। यह आप्शन अंतिम होगा।

5- स्पष्टीकरण क्रमांक.11 (दिनांक 01-10-2004 से पहिला प्रमोशन लेने के सम्बन्ध में)

प्रश्नः- एक टी ओ ए (जी) जो दिनांक 01-10-2000 को एन ई-6 वेतनमान में है उसे एन ई-7 वेतनमान में जाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 01-10-2004 के बाद पहिली पदोन्नति प्राप्त हुई है। क्या ऐसा कर्मचारी यदि एनईपीपी के अंतर्गत पहिली पदोन्नति प्राप्त करने के लिए अपनी पदोन्नति छोड़ता (Forgo) है तो क्या उसे 01-10-2004 से पहिली पदोन्नति प्राप्त होगी?

स्पष्टीकरणः-हॉ। एनईपीपी के आदेश दिनांक 23-03-2010 के पैरा 6.4 के अनुसार, यदि (कोई) कर्मचारी पदोन्नति की पुरानी योजनाओं जैसे:ओटीबीपी/बीसीआर/ग्रेड-IV/एसीपी आदि या कन्वर्सन/रिस्ट्रक्चरिंग/पे स्केल अपग्रेडेशन आदि के अंतर्गत प्राप्त पदोन्नति छोड़ने (Forgo) करने का विकल्प (दिनांक 27-10-2011 के पूर्व) चुनता है तथा 01-10-2004 से पहिली पदोन्नति के लिए विकल्प (आप्शन) देता है।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

<u>उदाहरण (हमारा)</u>

एल डी सी (टे ए) के पद पर काम करने वाले कर्मचारी 01-07-2004 से टी ओ ए में कन्वर्ट हुए थे। इस कन्वर्सन के बाद उनका वेतन एफ आर 22(1)(a)(2) के अंतर्गत फिक्स हुआ था। उन्हें सन् 2007 में सीनियर टी ओ ए बनाया गया। अब यदि वे (दिनांक 27-10-2011 के पूर्व) 01-10-2004 से पहिली पदोन्नति के लिए विकल्प देंगे तथा दिनांक 01-07-2004 से प्राप्त टी ओ ए की पदोन्नति छोड़ेंगे तो दिनांक 01-10-2004 को उनकी पहिली पदोन्नति पर एफ आर 22(1)(a)(1) के अंतर्गत पे फिक्स होगी। हिसाब लगाने पर यह पाया गया है कि, दिनांक 01-10-2004 से पहिली पदोन्नति का आप्शन (दिनांक 27-10-2011 के पूर्व) देने पर अधिकतर प्रकरणों में फायदा हो रहा है। इसलिए सम्बन्धित कर्मचारी हिसाब लगाने के बाद पहिली पदोन्नति 01-07-2004 के स्थान पर 01-10-2004 से लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

6- **<u>स्पष्टीकरण कमांक-17</u>** (पोस्ट बेस्ड प्रमोशन में पहिला प्रमोशन 01-10-2004 से लेने के सम्बन्ध में)

प्रश्न:- कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति की पुरानी पालिसी के अनुसार दिनांक 01-10-2000 से 01-10-2004 के बीच कोई पदोन्नति अथवा अपग्रेडेशन नहीं मिला है किन्तु बाद में 01-10-2004 से 23-03-2010 के बीच पोस्ट बेस्ड (पद आधारित) नियमित पदोन्नति प्राप्त हुई है। क्या ऐसे कर्मचारी दिनांक 01-10-2004 से एन ई पी पी के अंतर्गत पहिली पदोन्नति प्राप्त करने के हकदार हैं?

<u>स्पष्टीकरण:-</u>डीओटी से बीएसएनएल में विलय होने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्हें 01-10-2000 से 01-10-2004 के बीच कोई पदोन्नति/ अपग्रेडेशन प्राप्त नहीं हुआ है वे 01-10-2004 से पहिली पदोन्नति प्राप्त करने के लिए हकदार हैं।किन्तु उन्हें इसके लिए दिनांक 27-10-2011 के पूर्व फार्म-1(दिनांक 23-03-2010 के आदेश का) में ऐसा आप्शन देना होगा। दिनांक 01-10-2004 से 23-03-2010 के बीच प्राप्त पद आधारित पदोन्नति दूसरा प्रमोशन माना जावेगा।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

उदाहरण के लिए (हमारा)

उदाहरण-(I) मान लीजिए सन् 1999 में कोई साथी आर.एम. के पद पर था तथा उसे सन् 2008 में टेलीकॉम मैकेनिक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई है। तो इस नए स्पष्टीकरण के अनुसार अब ऐसे कर्मचारी को 01-10-2004 से पहिली पदोन्नति प्राप्त होगी तथा सन् 2008 में प्राप्त पद आधारित टी.एम. की पदोन्नति दूसरी पदोन्नति मानी जावेगी।

उदाहरण (II) इसी प्रकार मान लीजिए कि यदि कोई कर्मचारी परीक्षा पास करके सन् 2007 में टीटीए के पद पर पदोन्नत हुआ है। तो सन् 2004 में उसे पहिली पदोन्नति प्राप्त होगी तथा टीटीए के पद पर पदोन्नति दूसरी पदोन्नति मानी जावेगी।

उदाहरण (III) मान लीजिए किसी ड्राइवर साथी को सन् 2006 में अपग्रेडेशन मिला (बी एस एन एल में कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला) तो 01-10-2004 से उसे पहिली पदोन्नति प्राप्त होगी तथा सन् 2006 में मिला अपग्रेडेशन दूसरी पदोन्नति मानी जावेगी।

नोट:- बी एस एन एल ई यू ने ऐसा ही स्पष्टीकरण देने की मांग की थी तथा इसके पक्ष में बहस भी की थी।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com